



HAMIRPUR POLICE



थाना चिकासी

दिनांक-26.09.2022

15 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त अवैध तमंचा/कारतूस के साथ गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.09.2022 को थाना चिकासी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 164/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना चिकासी से सम्बन्धित 15000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी रिजेन्द्र पुत्र दानीकरन राजूपत निवासी बरौली खरका जनपद हमीरपुर को एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ ग्राम बरौली खरका मोंड से गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर थाना चिकासी पर मु0अ0सं0 169/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

बरामदगी

01 सतमंचा 315 बोर

01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. प्र0नि0 चिकासी हेमन्त कुमार मिश्रा
2. उ0नि0 तौफीक अहमद
3. का0 अंकित साहू
4. का0 आनन्द कुमार

